प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ..268/2023 दिनांक .....6/10/2023.....

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित–2018)
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या .....108..... समय .....7:30 PM.....
(2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 05.10.2023 समय 01.10 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.09.2023 समय 05.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – हस्तलिखित

5. घटना स्थल : – कार्यालय पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव जिला उदयपुर।
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 500 किलोमीटर
(2) पता –
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री पारस कुमार जैन
(2) पिता का नाम : स्व. श्री शिव कुमार जैन
(3) आयु : 42 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : अध्यापक
(7) पता: पुलिस थाने के पास बापू बाजार, ऋषभदेव जिला उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित:
1. श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री थावरचन्द मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी 399, नलिया फला बांरा घाटी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल, ऋषभदेव जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति

1. भारतीय चलन मुद्रा –5,000/– दिनांक 27.09.2023 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि 'मेरी माताजी श्रीमती शान्ति देवी जैन के स्वामित्व, कब्जे एवं आधिपत्य की आवसीय भू–खण्ड जो पटवार हल्का ऋषभदेव में स्थित है उक्त भू–खण्ड का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलने व सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिये मैं पटवार मण्डल ऋषभदेव के पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से मिला तो उन्होने भू–खण्ड का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलकर सत्यापित प्रति देने के लिये 5000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की' जिस पर दिनांक 29.09.2023 को मांग सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत राशि की पुष्टि हुई। आज दिनांक 05.10.2023 को दौरानें ट्रेप कार्यवाही श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव, उदयपुर को परिवादी श्री पारस कुमार जैन से मांग अनुसार रिश्वत राशि

5,000/– रूपये ग्रहण करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जिसको मौके से बरामद किया गया।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 5,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कार्यवाही पुलिस

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2023 को समय करीब 5.30 पी.एम. पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन ने ब्यूरो चौकी उदयपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत को एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मुझ प्रार्थी पारस कुमार जैन की माताजी श्रीमती शान्ति देवी जैन पत्नी श्री शिवकुमार जी जैन के स्वामित्व, कब्जे एवं आधिपत्य की आवासीय जमीन मौजा धुलेव पटवार हल्का ऋषभदेव में स्थित है जिसका कृषी भूमि से आवासीय उपयोग हेतु रूपान्तरण सन् 2015 में हो चुका है। उक्त भूमि का इन्तकाल ऑनलाईन नहीं खुला हैं, उक्त भू–खण्ड पर आवासिय लोन लेने के लिये म्यूटेशन की सत्यापित प्रति की आवश्यकता होने से भू–खण्ड का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलने व म्यूटेशन की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिये मैं पटवार हल्का ऋषभदेव के पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से मिला तो उन्होने मुझे जमीन का कन्वर्जन केन्सल करवाने की धमकी देकर और अन्य जमीन सम्बन्धित कानूनी उलझनों का हवाला देकर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपयो रिश्वत राशि की मॉग कर 20,000/– काम होने के पहले और 5000/– काम होने के बाद देने की मांग की तथा रूपये देने के बाद ही जमीन का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलकर सत्यापित प्रति देने की बात कही। श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी द्वारा कन्वर्जन केन्सल होने के अत्यधिक दबाव होने के कारण मैंने 20,000/– रूपये श्री राजेन्द्र कुमार पटवारी को दे दिये। अब वह बार बार जमीन का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलकर सत्यापित प्रति देने के लिये 5000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मुझ पर दबाव बना रहे है। मैं श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव को रिश्वत राशि नही देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री राजेन्द्र कुमार पटवारी से कोई आपसी रंजीश, दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई रूपयो का उधार, लेन देन बकाया है। कृपया कर कानूनी कार्यवाई करे।'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पूछताछ की तो परिवादी श्री पारस कुमार जैन द्वारा अपनी माताजी श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री शिवकुमार के कन्वर्जन ऑर्डर की छायाप्रति प्रस्तुत कर रिपोर्ट शब्द–ब–शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया होने संबंधी ताईद की गई। मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेन देन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जानें से श्री विक्रम सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को रिपोर्ट में अंकित तथ्यो के संबंध में जरिये दूरभाष निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त किये गये। निर्देशानुसार रिश्वत राशी मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने परिवादी को इस बाबत अवगत कराया। जिस पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन ने बताया कि दिनांक 28.09.2023 को राजकीय अवकाश है दिनांक 29.09.2023 को मुझे जब भी पटवारी साहब मिलने के लिये बुलायेगे तो मैं आपको सुचित कर दूंगा तथा रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में वार्ता भी कर लूगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित कानि. श्री सुरेश को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड के लेकर बुलाया तथा कानि. श्री सुरेश का परिचय परिवादी श्री पारस कुमार जैन से आपस में करवाया जाकर एक–दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान प्रदान किये गये। परिवादी को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि भलीभांति समझाई गई तथा सुरेश कानि. को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री पारस कुमार जैन जब भी मांग सत्यापन वार्ता हेतु बुलाये तुरन्त ही ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर अग्रिम मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब समय 6.15 पी.एम. मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री पारस कुमार जैन को आवश्यक मुनासिक हिदायत देकर ब्यूरो चौकी, उदयपुर से रूकसत किया तथा श्री सुरेश कानि. से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 29.09.2023 को समय करीब 2.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये दूरभाष व्हाट्सएप कॉल परिवादी श्री पारस कुमार जैन से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि ''आज ऋषभदेव पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवार मण्डल पर उपस्थित है, आज उनसे वार्ता हो जायेगी

आप सुरेश जी को ऋषभदेव भेज दो मैं उन्हे वहीं पर मिल जाउगा।'' जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री सुरेश कानि. को ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में रखा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मगवाकर कस्बा ऋषभदेव पहुँच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर ब्यूरो चौकी उदयपुर से रवाना किया था। तत्पश्चात् समय करीब 04.50 पी.एम. कानि. श्री सुरेश ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया की ''आप के आदेशानुसार मैं ब्यूरो चौकी उदयपुर से मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रवाना होकर समय करीब 04.09 पी.एम. ऋषभदेव बस स्टेण्ड पर पहुँच परिवादी श्री पारस कुमार जैन को कॉल कर बस स्टेण्ड पर आने हेतु बताया। जिस पर परिवादी कुछ समय बाद उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार तहसील कार्यालय पर मिल जायेगें। जिस पर मैं परिवादी को साथ लेकर तहसील कार्यालय ऋषभदेव की तरफ एकान्त स्थान पर गया और उसको डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन के प्रक्रिया पुनः समझाईश कर समय करीब 4.21 पी.एम. पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता हेतु तहसील कार्यालय ऋषभदेव की ओर रवाना किया मैं आसपास अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में रहा। तत्पश्चात् समय करीब 4.39 पी.एम. पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन मेरे पास उपस्थित आया जिसे मैं अपने साथ एकान्त स्थान पर लेकर गया, परिवादी श्री पारस कुमार जैन ने मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि ''मेरी पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से रिश्वत राशि मांग संबधित वार्ता हो गई है। जिसमें पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार ने मुझसे पूर्व में लिये गये 20,000/– रूपये की पुष्ठि कर 7,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 5,000/– रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति दी।'' जिस पर श्री सुरेश कानि ने परिवादी की मन् पुलिस निरीक्षक से फोन पर वार्ता करवायी तो परिवादी द्वारा भी उक्त तथ्यों को दोहराया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री पारस कुमार जैन को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई जिस पर परिवादी ने बताया कि दिनांक 02.10.2023 तक राजकीय अवकाश है उसके बाद ही पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार, पटवार मण्डल पर उपस्थित होगे तथा मेरे पास रूपयो की व्यवस्था होने पर मैं आपको कॉल कर एसीबी चौकी पर उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री सुरेश कानि. को परिवादी वहीं से रूकसत कर मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर ब्यूरो उपस्थित होने की हिदायत दी। इसके बाद समय करीब 08.00 पी.एम. पर श्री सुरेश कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के उपस्थित ब्यूरो चौकी आया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर पूर्व में जरिये दूरभाष बताये गये हालात की ताईद की। वार्ता की सत्यता हेतु मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो परिवादी व कानि. के कथनों की ताईद होना एवं संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा द्वारा परिवादी श्री पारस कुमार जैन से रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। हालात उच्च अधिकारियों को जरिये दुरभाष निवेदन किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 04.10.2023 को समय 10.17 ए.एम. पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन ने मोबाईल नम्बर 9929965994 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार पटवार को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,000/– रूपयो की व्यवस्था हो गई है तथा मैं दिनांक 05.10.2023 को एसीबी कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात् समय करीब 05.00 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत्त उदयपुर के नाम कार्यालय पत्रांक 3366 दिनांक 04.10.2023 जारी कर श्री सुरेश कानि को देकर आवश्यक हिदायत कर होकर समय करीब 05.45 पी.एम. पर श्री सुरेश कानि ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। श्री सुरेश कानि ने कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत्त उदयपुर का पत्रांक 2745 दिनांक 04.10.2023 प्रस्तुत किया। जिसका अवलोकन किया गया तो एक गवाह श्री बाबूलाल मीणा प्रशासनिक अधिकारी को बतौर गवाह मनोनित किया गया। श्री सुरेश कानि ने बताया कि ''श्रीमान उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय पहुँच तहरीर प्रस्तुत की, कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन से गवाह मनोनित की तहरीर सुपुर्द कर बताया कि स्टॉफ की कमी होने से एक कर्मचारी को ही बतौर गवाह प्रेषित कर सकते है, जिसे दिनांक 05.10.2023 को 10.00 एएम पर एसीबी कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।'' जिस पर पूर्व की कार्यवाही में कार्यालय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से कार्यालय पत्रांक 3246 दिनांक 29.09.2023 से तलब शुदा गवाह श्री विजय

पटवारी के मध्य स्थान पटवार मण्डल ऋषभदेव में रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को सुनाई गई। जिस पर उक्त वार्ता में परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होने की ताईद की। जिस पर श्री सुरेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी व संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क ''B'' अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। इसके बाद समय करीब 05.30 पीएम श्री राजकुमार जैन भू–अभिलेख निरीक्षक मय परिवादी श्री पारस कुमार जैन के पेण्डिंग कार्य से संबंधित पत्रावली लेकर पुलिस थाना ऋषभदेव पर उपस्थित आये। श्री राजकुमार जैन से उक्त पत्रावली के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि ''पटवार मण्डल ऋषभदेव (राजस्व ग्राम धुलेव) की नामान्तरण से संबंधित मूल पत्रावली लेकर हाजिर आया हूँ। उक्त पत्रावली में नामान्तरण की मूल पत्रावलीयो को संलग्न किया जाता है। उक्त पत्रावली में श्रीमती शान्ति देवी पत्नी शिव कुमार जाति जैन का ग्राम धुलेव में नामान्तरण संख्या 1883 भूमि रूपान्तरण का 11.05.2023 को ऑन लाईन नामान्तरण दर्ज हुआ। जिस पर श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी द्वारा दिनांक 12.05.2023 को रिपोर्ट की गई। जिस पर मेरे द्वारा (भू–अभिलेख निरीक्षक) दिनांक 15.05.2023 को जॉच कर टिप्पणी की गई है। उसके बाद दिनांक 15.09.2023 को तहसीलदार कार्यालय तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में ऑन लाईन रूपान्तरण का अपडेशन हो गया है। जिसकी प्रमाणित सत्यापित प्रति पेश कर रहा हूँ। आवेदक द्वारा जमाबन्दी की बैंक लोन व अन्य राजकीय कार्य के लिये सत्यापित प्रति चाहने पर पटवारी द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध करवायी जाती है। तत्पश्चात् समय करीब 06.00 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव, उदयपुर द्वारा शंका होने से पटवार कार्यालय से बाहर आकर भागने लगा और परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि को झाडियो में फेंक दी उक्त स्थान का धोवन लिया जाना संभव नहीं होने से उक्त स्थान की विडियो रिकॉडिंग श्री दिनेश कुमार कानि 266 द्वारा अपने स्वंय के मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार बनायी गई। उक्त मोबाईल को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री सुरेश कुमार कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार उक्त विडियो फुटेज की मूल व डब सीडी तैयार की जाकर मूल सीडी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी पर मार्क 'C' अंकित कर सीडी कवर में रख कर सीलचिट किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 07.00 पीएम पर श्री राजकुमार जैन भू–अभिलेख निरीक्षक को परिवादी श्री पारस कुमार जैन व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी के मध्य दिनांक 29.09.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.10.2023 हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जिन्हे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओ को बारी–बारी चलाकर सुनवायी गई तो श्री राजकुमार जैन ने उक्त वार्ता में एक आवाज श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव (राजस्व ग्राम धुलेव) की होना बताया। एक अन्य आवाज किसकी है उसकी जानकारी नहीं होना बताया। उक्त कार्यवाही की फर्द आवाज पहचान मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 07.20 पी.एम. पर दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री पारस कुमार जैन व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी के मध्य दिनांक 29.09.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.10.2023 हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की रिकॉडिंग हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड **सेनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी बंरग लाल व ग्रे** को डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रख कर कवर पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर सफेद कपडे की को श्री टीकाराम कानि. सीलचिट करा मार्क **M** अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके बाद समय करीब 07:30 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री थावरचन्द्र मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी 399, नालिया फला बारा, उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में संज्ञेय अपराध कारित किया गया। आरोपी को धारा 41 (1) बी जा.फौ. की पालना की जाकर तथा इस समय तक की कार्यवाही से

चौहान कनिष्ठ सहायक को जरिये दूरभाष दिनांक 05.10.2023 को 10.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 05.10.2023 को समय करीब 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए। परिवादी ने बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/– रूपये की व्यवस्था हो गयी है जो मेरे पास ही है। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। इसके बाद समय करीब 10.10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री विजय चौहान पुत्र श्री वसुदेव चौहान उम्र 43 वर्ष निवासी भलावतो का खेडा लाल बाग के पीछे पुलिस थाना नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल कनिष्ठ सहायक, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व श्री बाबूलाल मीणा पुत्र स्व. श्री भैरूलाल मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी प्लाट नम्बर ए–23, प्रेम कालोनी टोक रोड जयपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय डी.आई.जी. स्टाम ऑफिस, उदयपुर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु दोनों गवाहों से उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय कर्न्वजन ऑर्डर की छायाप्रति दिनांक 27.09.2023 पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने रिपोर्ट शब्द–ब–शब्द स्वयं की हस्तलिपि में अंकित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने तथा अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की गई। उक्त प्रार्थना पत्र एवं कर्न्वजन ऑर्डर पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 10.30 ए.एम. पर दिनांक 29.09.2023 को परिवादी श्री पारस कुमार जैन व संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को अलमारी से निकालकर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने भी उक्त वार्ता से रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की। परिवादी ने उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव की होना बताया। जिस पर निर्देशानुसार उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट करा श्री सुरेश कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क "A" अंकित किया गया तथा गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। इसके बाद समय करीब 11.05 ए.एम. पर अग्रिम कार्यावाही में ईमदाद हेतु जाप्ता की आवश्यकता होने से उच्चाधिकारीयो को निवेदन कर ब्यूरो कार्यालय भ्रनिब्यूरो एसयू, उदयपुर से कानि. दिनेश कुमार को ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर एवं कार्यालय भ्रनिब्यूरो, डूंगरपुर से कानि श्री बाबूलाल को कस्बा ऋषभदेव उपस्थित होने हेतु जरिये दूरभाष तलब किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 11.15 ए.एम. पर स्वंतत्र गवाह श्री विजय चौहान एवं श्री बाबूलाल मीणा के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा, पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री पारस कुमार जैन से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नोट प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री गजाराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से मंगवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 5,000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री गजाराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विजय चौहान से लिवाई गई, जिसमें मोबाईल फोन के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की बाये जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री सुरेश कानि. से प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री गजाराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की अंगुलियों व अगुष्ठ जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी,

परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री गजाराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास व अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा, पटवारी को उनकी मांग अनुसार 5,000 रूपयें रिश्वती राशि उसके मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान एवं परिवादी के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात वह अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें या गोपनीय तरीके से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल कर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री पारस कुमार जैन को डिजिटल टेप रिकार्डर रिश्वत लेन देन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गजाराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से पुनः कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई तथा श्री गजाराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ब्यूरो चौकी पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् समय करीब 11.50 ए.एम. पर श्री दिनेश कुमार कानि भ्र.नि.ब्यूरो एसयू उदयपुर तलबीशुदा उपस्थित आये जिन्हें अग्रिम कार्यावाही हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद समय करीब 11.55 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री पारस कुमार जैन, श्री सुरेश कानि, श्री दिनेश कानि, स्वतंत्र गवाह श्री विजय चौहान, श्री टीकाराम कानि. को परिवादी की कार से तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री बाबूलाल, श्री लक्ष्मण सिंह क.सहायक मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन लेपटोप प्रिंटर के प्राईवेट टेक्सी वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय से कस्बा ऋषभदेव की ओर रवाना होकर समय 12.55 पी.एम. पर कस्बा ऋषभदेव बस स्टेण्ड पहुँचें। जहाँ वाहनो को साईड में खडा करवा परिवादी श्री पारस कुमार जैन को डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया की पुनः समझाईश कर समय करीब 01.04 पी.एम. पर रिकॉर्डर का चालू कर परिवादी श्री पारस कुमार जैन को देकर संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी से रिश्वत राशि लेन देन वार्ता हेतु पटवार मण्डल ऋषभदेव की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम सदस्य अपनी-अपनी उपस्थित छिपाये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहे। समय करीब 01.10 पी.एम. पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन ने पटवार मण्डल ऋषभदेव से बाहर आकर सीडियो से उतरते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप टीम सदस्यो को ईशारा कर तेज तेज कदमो से चलते हुए परिवादी के पास पहुँचे। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी ब्यूरो टीम को देखकर भागने लगा जिसे ब्यूरो टीम सदस्य श्री सुरेश कुमार कानि, श्री टीकाराम कानि व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक ने दौडकर पटवार मण्डल ऋषभदेव के मुख्य गेट के बाहर कुछ दुरी पर भागते हुए पकडा। आरोपी को पकडने के दौरान आरोपी ने रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट ब-रंग काला की दाहिनी जेब से निकालकर झाडियो में फैंक दिये। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय कानि श्री दिनेश के आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के पास पहुँचे। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी का दाहिना हाथ श्री टीकाराम कानि एवं बाया हाथ श्री सुरेश कानि द्वारा कलाई से उपर पकडवाया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा द्वारा रिश्वत राशि झांडियो में फेकी गई थीं। उक्त स्थान का धोवन लिया जाना संभव नहीं होने से मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि श्री दिनेश को उसके मोबाईल फोन से रिश्वत राशि बरामदगी स्थान का विडियो बनाने का निर्देश दिया। जिस पर कानि श्री

दिनेश कुमार द्वारा उसके मोबाईल फोन से विडियो बनाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री बाबूलाल मीणा प्रशासनिक अधिकारी से आरोपी द्वारा फैंकी गई रिश्वत राशि को उठावाकर गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/– रूपयें होना बताया। जिसे गवाह श्री बाबूलाल मीणा के पास सुरक्षित रखा गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को यथा स्थिति में पटवार मण्डल के अन्दर पटवारी कक्ष में ले जाया गया। परिवादी श्री पारस कुमार जैन द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करा उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री थावरचन्द्र मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी 399, नालिया फला बारा, उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर होना बताया। पटवार मण्डल ऋषभदेव के पटवार कक्ष में पूर्व से उपस्थित अन्य एक व्यक्ति से उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री राजकुमार जैन पुत्र स्व. श्री अर्जुन लाल जैन उम्र 52 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव, उदयपुर वर्तमान पता बी–205, सम्भवनाथ कॉम्पलेक्स, राजपूताना रिसोर्ट के पास, सेक्टर 11, उदयपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, कार्यालय भू–अभिलेख निरीक्षक, ऋषभदेव, उदयपुर होना बताया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी को परिवादी श्री पारस कुमार जैन से रिश्वत राशि 5,000/– रूपये ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो पटवारी ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है। जिस पर परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा झूठ बोल रहे है मेरी माताजी श्रीमती शान्ति देवी जैन के स्वामित्व, कब्जे एवं आधिपत्य की आवसीय भू–खण्ड जो पटवार हल्का ऋषभदेव में स्थित है उक्त भू–खण्ड का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलने व सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिये मैं पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से मिला तो इन्होने मुझे जमीन का कन्वर्जन केन्सल करवाने की धमकी देकर और अन्य जमीन सम्बन्धित कानूनी उलझनों का हवाला देकर 25,000/– रूपये रिश्वत राशि की मॉग कर 20,000/– काम होने के पहले और 5000/– काम होने के बाद देने की मांग की तथा रूपये देने के बाद ही भू–खण्ड का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलकर सत्यापित प्रति देने की बात कही। राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी द्वारा कन्वर्जन केन्सल करने का दबाव बनाकर मुझसे इन्होने टुकडो–टुकडो में 20,000/– रूपये ले लिये। इनके द्वारा बार बार जमीन का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलकर सत्यापित प्रति देने के लिये 5000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग करने पर मेरे द्वारा एसीबी कार्यालय में दिनांक 27.09.2023 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की। जिस पर दिनांक 29.09.2023 को मांग सत्यापन वार्ता करवायी गई जिसमें पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार ने 7,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 5,000/– रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति दी। आज लेन देन वार्ता के दौराने इन्होने मुझसे मांग अनुसार 5,000/– रूपये रिश्वत राशि अपने हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखे। इस संबंध में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को पुनः पूछने पर आरोपी अपना सिर झूकाकर चुप रहा। तत्पश्चात् आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी के बारें में वास्तविकता जानने हेतु श्री टीकाराम कानि से टेक्सी वाहन में रखा ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से स्वतंत्र गवाह श्री विजय चौहान कनिष्ठ सहायक से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक की डिस्पोजल की गिलासे निकलवाकर दोनो गिलासो में पटवार कक्ष में रखे पीने के पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर स्वतंत्र गवाह श्री विजय चौहान से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक पारदर्शी प्लास्टिक की गिलास के घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशीयों को श्री टीकाराम कानि से सीलचिट करा मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुष्ठ को दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का मटमेला हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशीयों को श्री टीकाराम कानि से सीलचिट करा मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा द्वारा परिवादी श्री पारस कुमार से रिश्वत राशि को ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखने से उक्त

जेब का धोवन लेने के लिये श्री राजकुमार भू–अभिलेख निरीक्षक से आरोपी के पहने के लिये अन्य पेन्ट मंगवाकर आरोपी की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट बरंग काला जिस पर अग्रेजी में Peter England टेग लगा हुआ, को ससम्मान उतरवाकर लाई गई पेन्ट को पहनाया गया। ट्रेप बॉक्स में से स्वतंत्र गवाह श्री विजय चौहान कनिष्ठ सहायक से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पटवार कक्ष में रखे पीने के पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर स्वतंत्र गवाह श्री विजय चौहान से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गिलास में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी की जिन्स की पेन्ट की दाहिनी जेब को उल्टा कर डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशीयों को श्री टीकाराम कानि से सीलचिट करा मार्क P-1 व P-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री बाबूलाल मीणा प्रशासनिक अधिकारी के पास रखी राशि को निकलवाकर श्री बाबूलाल मीणा से ही गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो का मिलान गवाह श्री बाबूलाल मीणा से गवाह श्री विजय चौहान के समक्ष पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों कें नंबर से मिलान करवाया तो नम्बरो का मिलान निम्नानुसार हुबहु होना पाया गया। जिस पर उक्त नोटों को वजह सबूत कागज की चिट में श्री टीकाराम कानि से सिलचिट करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पटवारी कक्ष में रखी टेबल की दराज एवं पटवारी के बेग बरंग काला की तलाशी ली गई तो उनमें कोई संदिग्ध राशि, दस्तावेज बरामद नही हुए। उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त किये गये डिस्पोजल ग्लासो को श्री टीकाराम कानि से जलवाकर नष्ट किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी द्वारा परिवादी श्री पारस कुमार जैन से रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी जिन्स की पेन्ट बरंग काला, अग्रेजी में Peter England टेग लगा हुआ, की आगे की दाहिनी जेब में रखे, वजह सबुत उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब को सुखा कर उल्टा कर स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, आरोपी एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर सफेद कपडे की थैली में रख जिन्स की पेन्ट बरंग काला को सीलचिट किया जाकर चीट व कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त कार्यवाही फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि मूर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही की गई। अब तक की गई कार्यवाही के हालात उच्च अधिकारीयों को जरिये दुरभाष निवेदन किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी के किराये के निवास सेक्टर 14, उदयपुर की खाना तलाशी हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर से निवेदन किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 02.20 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पारस कुमार जैन की निशादेही से फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर गवाहान एवं संबधितो के हस्ताक्षर कराये। इसके बाद समय करीब 02.30 पीएम पर परिवादी श्री पारस कुमार जैन के पेण्डिंग कार्य से संबंधित दस्तावेजो को उपलब्ध करवाने बाबत् श्री राजकुमार जैन भू–अभिलेख निरीक्षक, कार्यालय भू–अभिलेख निरीक्षक, ऋषभदेव, उदयपुर को निर्देशित किया। मौके पर भीड–भाड होने एवं सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो टीम मय परिवादी मय आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप प्रिन्टर जब्तशुदा आर्टीकल, सीलचिट धोवन शीशीयो के पटवार मण्डल ऋषभदेव से पुलिस थाना ऋषभदेव के लिये रवाना होकर समय करीब 02.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो टीम मय परिवादी मय आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप प्रिन्टर जब्तशुदा आर्टीकल, सीलचिट धोवन शीशीयो के रवानाशुदा पुलिस थाना ऋषभदेव पहुँचे। पुलिस थाना ऋषभदेव पहुँच पुलिस थाना ऋषभदेव के थानाधिकारी श्री महिपाल सिंह को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करा अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया। जिस पर श्री महिपाल सिंह थानाधिकारी द्वारा पुलिस थाना ऋषभदेव का स्वागत कक्ष उपलब्ध करवाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 03.00 पीएम पर कार्यालय भ्रनिब्यूरो, डूंगरपुर से तलबिदा कानि श्री बाबूलाल पुलिस थाना ऋषभदेव पर उपस्थित है। जिन्हे आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी की निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 04.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 05.10.2023 को परिवादी एवं आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा

आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, पटवारी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार श्री राजकुमार मीणा भू-अभिलेख निरीक्षक को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 07:50 पी.एम. पर श्री राजकुमार जैन भू-अभिलेख निरीक्षक एवं श्री बाबूलाल कानि, भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 08.00 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता में उसकी आवाज ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड होने से उसे उसकी आवाज का नमूना देने हेतु पत्रांक स्पे-1 दिनांक 05.10.2023 एवं की गई ट्रेप कार्यवाही के संबन्ध में अपने बचाव में स्पष्टीकरण पेश करने हेतु पत्रांक स्पे-2 दिनांक 05.10.2023 दिया गया। जिस पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा ने उक्त पत्रो पर आवाज नमूना के संबंध में ''मैं मेरी आवाज का नमुना नहीं देना चाहता हुँ'' एवं स्पष्टीकरण के संबंध में ''मेरी मानसिक स्थित सही नहीं है मैं मेरा स्पष्टीकरण बाद में पेश कर दुंगा'' अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर जवाब प्रस्तुत किया। पत्र की प्रतियों पर गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 08:30 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहान के समक्ष गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवार से परिवादी श्री पारस कुमार जैन से पूर्व में टुकडो-टुकडो में ली गई रिश्वत राशि 20,000/- रूपये के बारे में पुछा तो आरोपी ने बताया कि श्री पारस कुमार जैन द्वारा टुकडो-टुकडो में दिये गये रूपये मैंने खर्च कर दिये है। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से पूर्व में रिश्वत में लिये गये 20,000 रूपये बरामद करने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त पूछताछ में आरोपी द्वारा पूर्व के कथन ही दोहराए गये एवं गलती करना स्वीकार किया। तत्पश्चात् समय करीब 10:00 पी.एम. पर बाद कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना ऋषभदेव पर आमद रवानगी से संबंधित रपट अंकित करवायी जाकर रोजनामचा आम की सत्यापित प्रति प्राप्त की गई। परिवादी श्री पारस कुमार जैन को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। इसके बाद समय करीब 10:45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी, ब्यूरो टीम सदस्य कानि श्री सुरेश, श्री टीकाराम, श्री दिनेश, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय जब्त शुदा सीलचिट आर्टिकल्स मय आवश्यक संसाधन के पुलिस थाना ऋषभदेव से पुलिस थाना भूपालपुरा, उदयपुर के रवाना होकर हुए।

तत्पश्चात दिनांक 06.10.2023 समय 12:05 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी मय ब्यूरो जाप्त, दोनो गवाहन के रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना भूपालपुरा पर जरिये तहरीर मय प्राईवेट वाहन के पहुच आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना भूपालपुरा में जमा करवा ब्यूरो चौकी उदयपुर पहुच समय करीब 12:10 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी पहुच ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा सिलचिट मालखाना आर्टीकल को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना प्रभारी श्री टीकाराम कानि. को सुरक्षित हालात मे संभलाकर मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने की हिदायत दी गई तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहन को मुनासिब हिदायत देकर रूकसत किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 12.05 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी को हवालात से प्राप्त कर स्वास्थ्य परीक्षण करा लाने हेतु तेहरीर देकर श्री पुष्कर लाल हैड कानि., श्री टीकाराम कानि, एवं श्री सुरेश कानि मय ओटो रिक्शा मय चालक के रवाना होकर समय करीब 12.40 पी.एम. पर आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी को पुलिस थाना भूपालपुरा उदयपुर के हवालात से प्राप्त कर बाद राजकीय चिकित्सालय भूपालपुरा से स्वास्थ्य परीक्षण करा ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित आये। तत्पश्चात् समय करीब 01:00 पी.एम. पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा हाल पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव जिला उदयपुर को माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात, क्रम संख्या-01, उदयपुर पर प्रस्तुत किये जाने हेतु मय रिमाण्ड एवं पत्रावली के मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि. श्री टीकाराम व श्री सुरेश के साथ रवाना होकर माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर क्रम संख्या-01, पर में पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश फरमाये।

इस प्रकार आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री थावरचन्द्र मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी 399, नालिया फला बारा, उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

द्वारा परिवादी श्री पारस कुमार जैन से उनकी माताजी श्रीमती शान्ति देवी जैन के स्वामित्व, कब्जे एवं आधिपत्य की आवसीय भू–खण्ड जो पटवार हल्का ऋषभदेव में स्थित है उक्त भू–खण्ड का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलने व सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिये मैं पटवार मण्डल ऋषभदेव के पटवारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा से मिला तो उन्होने भू–खण्ड का ऑन लाईन म्यूटेशन खोलकर सत्यापित प्रति देने के लिये 5000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा दिनांक 29.09.2023 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से की गई वार्ता में 7,000 रूपये की मांग कर 5,000 रूपये लेने हेतु स्वीकारोक्ति करवाया एवं दिनांक 05.10.2023 को दौरानें ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव, उदयपुर द्वारा परिवादी श्री पारस कुमार जैन से अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 5,000/– रूपये ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (संशाधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा। अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डां. सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ0 सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री थावरचन्द मीणा, हाल पटवारी पटवार मण्डल ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 268/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

6.10.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 2907-10 दिनांक 06.10.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. जिला कलक्टर, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

6.10.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।